वित्तीय स्वीकृति

संख्याः 7/XVII-02/2018-01(19)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2018

विषयः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) के विद्यार्थियों के लिए डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या–11016/01/2015–BC-I दिनांक 17 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–02–200–01–02 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (100% के0स0) हेतु ₹ 12.86 लाख (रुपये बारह लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि छात्रों के बैंक खातों में सीधे जमा की जायेगी तथा छात्रों के खातों को आधार से जोड़ा जायेगा।
3. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति के साथ–साथ लाभान्वित हुये लाभार्थियों की संख्या से प्रत्येक माह शासन को अवगत कराया जाए।
7. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यान्वयन के लिए न किया जाय।



क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8. सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम एक लाख रूपये से आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार करने के पश्चात पहले निर्धनतम छात्र/छात्राओं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित की जाये:—
   (क) सर्वप्रथम उपलब्ध धनराशि से केन्द्र/राजकीय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक कोर्स हेतु (इन्टरमीडिएट, स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यथा बी0ए0,बी0कॉम, बी0एस0सी0,एम0ए0, एम0 कॉम, एम0एस0सी0 आदि) के छात्र/छात्राओं तत्पश्चात केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वात्तशासीय शिक्षण संस्थानों में व्यवासायिक/तकीनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।
   (ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
   (ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में काउंसलिंग के माध्यम से कॉमन टेस्ट के आधार पर सरकारी फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
   (घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) तक के अनुसार छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष रहती है, तो उसके पश्चात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो पात्र छात्र/छात्रा प्रदेश के बाहर अध्ययनरत है, उन छात्र/छात्राओं कों पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की जाये।
9. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पात्र छात्रों को सीमित वित्तीय संसाधनों दृष्टिगत निर्धारित मदों में शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाये। उसके सन्दर्भ में यदि समान आय सीमा के एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति आवेदकों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग (Ranking) तथा द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष आदि में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिए विगत वर्षों में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता प्राप्त छात्र को अवरोही क्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।
10. शासनादेश संख्या–2077/XVII–4/2014 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्रों को भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह पुष्टि कर ली जाये कि उक्त मदवार धनराशि प्रत्येक दशा में विद्यालयी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के ही अनुरूप हो।
12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
14. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में

लाया जाय। बी0एम0–8 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह दिन
20 तारीख तक पूर्व तक व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक तिमा
महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

16. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधि
प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नि
(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित
जाय।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयो
प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18. स्वीकृत धनराशि के भुगतान हेतु शासनादेश सं0–567/XVII–4/2017–01(82)/2014 दि
25.09.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15
संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

20. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,20
में प्राप्त उनके निर्देशों के क्रम में तथा बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेंट आई0
संख्या–S1801150016 दिनांक 01 जनवरी, 2018 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:– 17/XVII–2/2018–01(19)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग
25 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।
4. वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
5. राजाजी कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय
परिसर, देहरादून ।
6. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 बेरी)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

आवंटन पत्र संख्या - 17 /XVII-2/18-01(19)2016

Secretary, Social Welfare (S045)

अनुदान संख्या - 015

अलोटमेंट आई डी - S1801150

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

आवंटन पत्र दिनांक -01-Jan-20

1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

200 - अन्य कार्यक्रम

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

02 - डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना /आर्थिक रूप से पिछड़े (ई0बी0सी0) के छात्रों हेतु डॉ0 अम्बेडकर दशमोत

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 6145000 | 1286000 | 7431000 |
| | **6145000** | **1286000** | **7431000** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1286000**